65

अ[illegible]त आवश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 14(बैठक)वसु/प्रमुवस/ 3602-13 दिनांक 18.6.15
निमितः–

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर/
कोटा/उदयपुर/
(वन्यजीव)जोधपुर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/
जयपुर।

विषयः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वन भवन में आयोजित होने वाली समीक्षात्मक बैठक के संबंध में वन सुरक्षा संबंधी एजेण्डा।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आगामी माह में आयोजित होने वाली बैठक में वन सुरक्षा अनुभाग का ऐजेण्डा निम्नानुसार हैः–

1. क– संशोधित वन अधिनियम, 2012 के तहत वन अपराधों में प्रयुक्त वाहनो, औजारों, हथियारों, मशीनरी आदि के अभिग्रहण/अधिहरण के संबंध में निर्धारित 24 कॉलम के प्रोफार्मा में सूचना (पत्रांक एफ ( )वसु/प्रमुवसं/2060–71 दि. 11.3.14 द्वारा जारी प्रोफार्मा)।
   ख– राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 एवं संबंधित धाराओं में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण एवं सहायक वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/न्यायालय स्तर पर लम्बित प्रकरणों की स्थिति रिपोर्ट मय कारण सहित।
2. क– राज्य में वनभूमि पर अतिक्रमण को राज्य सरकार के परिपत्र 2.05.2012 के अनुसरण में बेदखल करने के संबंध में की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं अतिक्रमण की रोकथाम हेतु नवीनतम संशोधन अनुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 तहत की गई कार्यवाही की रिपोर्ट।
   ख– वन भूमि पर अतिक्रमणों की स्थिति एवं बेदखली से शेष प्रकरणों की संख्या एवं लम्बित रहने का कारण सहित।
3. वन अपराध संबंधी सभी 10 प्रपत्रों की (एलआर–91 अतिक्रमण संबंधी सहित) वार्षिक सूचना 01.04.14 से 31.3.15 तक एवम् त्रैमास की सूचना (01.01.15 से 31.03.15)
4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित (व्यवस्थित) सुविधाओं हेतु वनभूमि के गैर वन उद्देश्यों हेतु विपथन की सूचना निर्धारित प्रारूप में (पृथक–पृथक प्रकरण वाईज)।
5. क– वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानान्तर्गत अवशेष रही सूचना निर्धारित प्रपत्र पर वनाधिकार अभिलेख संधारण संबंधी हस्ताक्षरित सूचना निर्धारित प्रपत्र अ व ब के अनुसार (हार्ड एवं सोफ्ट कॉपी में वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
   ख– वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन, अभिलेखों के रिकार्ड सांधरण एवं विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने संबंध समस्याओं का विवरण।
6. राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा एवं अवैध खनन की रोकथाम के लिए की गयी कार्यवाही का विवरण ।
   क– खनन संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र की निर्धारित प्रपत्र में नवीनतम स्थिति की सूचना।

   ख– अलवर जिले में वन भूमि पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु उप वन संरक्षक,अलवर द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्युनल में प्रस्तुत कार्य योजना के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट ।
7. वन सुरक्षा अनुभाग से संबंधित मुख्यमंत्री/वनमंत्री/लोकायुक्त/मानवाधिकार आयोग से प्राप्त प्रकरणों की पालना रिपोर्ट ।

भवदीय

(एम.एल.मीना)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन सुरक्षा, वनभवन, जयपुर

क्रमांक एफ. 14(बैठक)वसु/प्रमुवस/अप्रमुवस/ दिनांक

प्रतिलिपि अति.प्रमुवस (परियोजना, सूत्रीकरण एवं समन्वय) राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन सुरक्षा, वनभवन, जयपुर